अति तत्काल

संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 29 नवंबर, 2019

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए सितम्बर, 2019 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **सितम्बर, 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

आलोक
29-11-2019

(आलोक कुमार वर्मा)
निदेशक (पी0 एण्ड सी0)
दूरभाष नं0 23381233

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

उपभोक्ता मामले विभाग के सितम्बर, **2019** माह के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

1. दालों तथा प्याज का बफर स्टॉक :-

1.1 दिनांक 30.09.2019 की स्थिति के अनुसार, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) से पी.एस.एफ. में हस्तांतरण के जरिए 15.38 लाख मीट्रिक टन दालों के बफर स्टॉक का सृजन किया गया।

1.2 एम.एम.टी.सी. ने दिनांक 06.09.2019 को 2000 मीट्रिक टन प्याज के आयात हेतु निविदा आमंत्रित की जो 24.09.2019 को बंद की गई; उपयुक्त बोली के प्राप्त न होने के कारण, एम.एम.टी.सी. ने अक्तूबर, 2019 के दौरान डिलीवरी हेतु और मूल्य सीमा लगाते हुए, दिनांक 26.09.2019 को 2000 मीट्रिक टन प्याज के आयात हेतु एक अन्य निविदा आमंत्रित की।

1.3 पिछले माह के दौरान, प्याज की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई, अतः सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, निर्यात पर प्रतिबंध, स्टॉक सीमाएं लगाना और केंद्रीय बफर से दिल्ली, हरियाणा, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश की सरकार को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खुदरा बिक्री के लिए प्याज की आपूर्ति जैसे उपाय किए। उपभोक्ता मामले विभाग ने नेफेड को उनकी अपनी आउटलेटों के माध्यम से प्याज की खुदरा बिक्री और सफल, केंद्रीय भंडार और एन.सी.सी.एफ. को प्याज की आपूर्ति के निर्देश भी दिए। दिनांक 30.09.2019 की स्थिति के अनुसरा, 56,689 मीट्रिक टन के बफर से 17,311 मीट्रिक टन प्याज का निपटान किया गया।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम:

2.1 दिनांक 30.09.2019 को माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के साथ राज्यों के मंत्रियों की 5वीं राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का आयोजन किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, अगले 12 माह में कार्यान्वित किए जाने हेतु बैठक में एक कार्रवाई योजना को अंगीकार किया गया। राष्ट्रीय परामर्शी बैठक में लिए गए इस विभाग से संबंधित निर्णयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम का प्रवर्तन;

(ii) राज्यों द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं विशेष कर दालों और प्याज के व्यापारियों के साथ बैठकों का आयोजन करना और यदि आवश्यक हो, तो हस्तक्षेप करने के लिए कीमतों की नियमित पुनरीक्षा करना;

(iii) दालों का लगभग 16 लाख मीट्रिक टन और प्याज के 56,000 मीट्रिक टन बफर पहले से ही मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत उपलब्ध है। राज्य इस स्टॉक का उपयोग अपनी कल्याणकारी स्कीमों जैसे मिड-डे-मील, आई.सी.डी.एस., सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि और खुदरा बिक्री के लिए भी कर सकते हैं।

(iv) राज्य अपना स्वयं का राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं;

(v) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2019 के तहत नियमों को तैयार करने के संबंध में इनपुट प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया।

(vi) किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य, आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसके आदेशों के प्रावधानों, जिन्हें खेती क्षेत्र और संबद्ध आपूर्ति श्रृंखला कार्यकलापों में निवेश के संवर्धन के लिए उदार बनाए जाने की आवश्यकता है, में संशोधनों का सुझाव दे सकते हैं।

3. <u>भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) :-</u>

3.1 महानिदेशक, बी.आई.एस. और बी.आई.एस. के अन्य अधिकारियों को शामिल कर, सचिव, उपभोक्ता मामले की अध्यक्षता में बने एक चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 16-20 सितम्बर, 2019 के दौरान, केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में आई.एस.ओ. महा सभा और संबंधित बैठकों में भाग लिया। आई.एस.ओ. की महासभा के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, जापान, यू.एस.ए., सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, रूस, भूटान और स्पेन के राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ भी बैठकें आयोजित की गई जिनमें आपसी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई।

3.2 माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 09 सितम्बर, 2019 को **'पेयजल के लिए एकबारगी उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक बोतलों को किसी अन्य विकल्प से बदलना'** के संबंध एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बी.आई.एस. के अधिकारियों और अन्य सभी संबंधित हितधारकों ने भाग लिया। भावी उपायों के रूप में निम्नलिखित मुद्दों को मान्यता दी गई:

(i) कम्पोस्ट बनाने-योग्य प्लास्टिक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(ii) विभिन्न स्थानों पर पेयजल ए.टी.एम. संस्थापित किए जाने चाहिएं।

(iii) कम्पोस्ट बनाने-योग्य प्लास्टिक वाली मल्टी-लेयर प्लास्टिकों की अनुमति दी जा सकती है।

(iv) अन्य विकल्पों की खोज के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों की आवश्यकता

(v) उपभोक्ता जागरूकता

3.3 इसके बाद, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को **'पेयजल के लिए एकबारगी उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक बोतलों को किसी अन्य विकल्प से बदलना'** के संबंध में एक प्रेस-सम्मेलन में भाग लिया। प्रेस-सम्मेलन के दौरान, माननीय मंत्री, श्री राम विलास पासवान जी और बी.आई.एस के अधिकारियो ने बैठक के परिणामों और भावी उपायों का विवरण दिया।

3.4 माननीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों/विनियामकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 12 सितम्बर, 2019 को 'मानक तैयार करने की प्रक्रिया और मानकों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा' के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में व्यापक मुद्दों, जिनमें मानकों का निर्धारण कैसे किया जाता है और उनके कार्यान्वयन/प्रवर्तन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता हैं, शामिल थे, पर विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न मानक विकास संगठनों की भूमिका की अतिव्याप्ति पर चर्चा करते समय, देश में बी.आई.एस., राष्ट्रीय मानक निकाय, के तत्वाधान में मानकों को तैयार करने के प्रयासों के कंवर्जेंस पर चर्चा की गई। माननीय मंत्री जी ने सुझाया कि "एक देश एक संविधान" और "एक देश एक राशन कार्ड" की तर्ज पर "एक देश एक मानक" भी होना चाहिए।

3.5 माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2019 को बी.आई.एस. की प्रयोगशालाओं के कार्यकरण की पुनरीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में माननीय राज्य मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग, बी.आई.एस. एवं विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ बी.आई.एस. द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस विषय पर चर्चा की गई कि बी.आई.एस. प्रयोगशालाओं को परीक्षण उपकरणों से डाटा के इलैक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए आई.टी/सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से स्वयं को आधुनिक परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित करना चाहिए। बी.आई.एस. को विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विनियामकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने और बी.आई.एस. की नई अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमों के अंतर्गत लाए जा रहे नए उत्पादों के लिए परीक्षण सुविधाओं के सृजन का परामर्श दिया गया। इस तथ्य पर चर्चा की गई कि बी.आई.एस. ने पाइप द्वारा आपूर्ति किए जाने पेय जल के लिए एक मानक आई.एस. 10500:2012 तैयार किया है। तथापि, यह मानक स्वैच्छिक है और इसका कार्यान्वयन

विभिन्न नगरपालिकाओं और जल आपूर्ति विभागों के विवेक पर आधारित है। यह निर्णय लिया गया कि पाइप द्वारा आपूर्ति किए जाने पेयजल के अनिवार्य प्रमाणन के लिए राज्यों के साथ इस मामले पर बातचीत की जाए।

4. **मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

क्रम सं.	सूचकांक	मुद्रास्फीति दर (%)		
		अगस्त, 2019 (अनन्तिम)	जुलाई 2019 (अनन्तिम)	अगस्त, 2018 (अंतिम)
1	थोक मूल्य सूचकांक **(वार्षिक)**	1.08	1.08	4.62
2	थोक मूल्य सूचकांक **(खाद्य वस्तुएं)**	7.67	6.15	-4.04
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(औद्योगिक कामगार)**	6.31	5.98	5.61
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(संयुक्त)***	3.21	3.15	3.69
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)***	2.99	2.36	0.29

*:- श्रृंखला 2012=100 #: नया आधार वर्ष 2011-12=100

7. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 111 केंद्रों से प्राप्त अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य जुलाई, माह की तुलना में अगस्त, 2019 माह की तुलना में सितम्बर, 2019 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 111 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक खुदरा मूल्य अगस्त, 2019 की तुलना में सितम्बर, 2019 माह के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और नीचे दिया गया है -:

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें

(रुपये/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	सितम्बर, 2019 (अद्यतन)	अगस्त, 2019 (अद्यतन)	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	32	32	0
2	गेहूं	27	27	0
3	आटा	28	28	0
4	चना दाल	66	66	0
5	तूर दाल	86	85	1
6	उड़द दाल	75	75	0
7	मूंग दाल	83	82	1
8	मसूर दाल	63	63	0
9	चीनी	39	39	0
10	दूध	44	44	0
11	मूंगफली का तेल	131	130	1
12	सरसों का तेल	110	109	1
13	वनस्पति	80	79	1
14	सोया तेल	93	92	1
15	सूरजमुखी का तेल	101	100	1
16	पॉम ऑयल	76	75	1
17	गुड़	45	45	0
18	खुली चाय	214	212	2
19	पैकबंद नमक	15	15	0
20	आलू	19	19	0
21	प्याज़	38	25	13
22	टमाटर	31	39	-8

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

शून्य

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन :**ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।**

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृत' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापना नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5. ई-गवर्नेंस के कार्रयान्वयन की स्थिति

फाइलों की कुल संख्या	ई-फाइलों की कुल संख्या
200	**176**

6. लोक शिकायतों की स्थिति :

सितम्बर, 2019 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	**सितम्बर, 2019** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
1276	**711**

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

सितम्बर, 2019 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या	**सितम्बर, 2019** माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या
75616	**50302**

8. न्यूनतम शासन, अधिकतम अभिशासन:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 22 केन्द्रों से 111 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को विभाग की वेबसाइट द्वारा तत्काल प्रसारित किया जाता है। कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। अनुदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार नेमी प्रकार के अन्य सरकारी कार्य भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि विलंब से बचा जा सके तथा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

*****